

फर्द अहकाम

उन्नी इंस बनाम उन्नी लाल
 ACEMCF-7) शाहडोल

92/5/17 5/17

दिनांक आका या कार्यवाही	आका विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>2017/5/17</p>	<p>उत्तर: शकल वीर अंसलत-मोग अंसलत-12 2017 प्रेम घाली उरा मे शका छलाके बखारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहडोल के अंसलत अंसलत उन्नी किमा बाता के। आ.स.न. 165 रकबा 0.0 के.व. 167/0.14 कुल किता 2 रकबा 0.2 पके. बारी गाम बारी गाम शाहडोल-जयपुर का खातेदार के प्रत्यक्ष किमा बखारा किमा बाता के। ऊके टपक-2 खातेदार की रकबा धरो किमा बाता के।</p> <p>(1) उन्नी इंस. 1, 2 के बखारे मे ख.न. 165/2 रकबा 0.0 पके. व उन्नी इंस. 2 के किमा मे ख.न. 167 रकबा 0.14 के.व. रहेगा</p> <p>(2) बारी इंस. 1 के बखारे मे ख.न. 165/1 रकबा 0.06 के.व. रहेगा</p> <p>रिपोर्ट बखारा व-जयपुर इंस किमा का कुल रहेगा। तदनुसार शकल रिपोर्ट मे अमल दखल किमा जावे। पक्षधार के ह्यानी उन्नी इंस के पान किमा बाता के किमे बखारा अंसलत इंस ऊके के कले काय मे किमी पुकार वीरबोस पेदाही को। पक्ष उन्नी इंस। ओर सुजाता गत।</p> <p>मलबली किमा अंसलत की रकबा तबतक दफ्तरे दखिल हो।</p>	<p>4</p> <p>सहायक कमिश्नर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फारट ट्रेक) शाहडोल जिला-जयपुर (राज.)</p>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

वाद का स्थान :- घासीपुरा

दिनांक :- 29.05.2017

दस्ता नम्बर :- 5/2017

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि विजय उपखण्ड, अधिकारी (शाहपुरा)

उनवान

- मुन्नी देवी पत्नी इन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 1224 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं. 520 गोविन्दराव जी का रास्ता पहला चौक चांदपोल बाजार जयपुर

वादी

बनाम

- मुरारी लाल शर्मा पुत्र बुद्दालाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एफ. 1 माडल टाउन मालवीय नगर जयपुर
- मैसर्स एस. एन. जी रियल स्टेट प्रा.लि. कार्यालय 707 पेरिस पाइन्ट सवाई जयसिंह हाईवे कलेक्ट्रेट सर्किल बनीपार्क जयपुर जरिये निदेशक सत्यनारायण गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता महाजन निवासी 1 ई. 19 शिवशक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर राज.
- उप पंजीयक तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :- 29.05.2017

दावा वादी मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के अनुसार अन्तिम डिक्री दिया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 हैक्ठो व 167 रकबा 0.14 कुल कित्ता रकबा 0.24 हैक्ठो वाके ग्राम ~~खोटावा~~ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का खातेदारान के मध्य मन् प्रकार बंटवारा की पृथक - पृथक खातेदार काश्तकार प्रेषित किया जाता है :-

- प्रतिवादी संख्या 1 के बंटवारे में खसरा नम्बर 165/2 रकबा 0.04 हैक्ठो व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.14 हैक्ठो रहेगा।
 - वादी संख्या 1 के बंटवारे में खसरा नम्बर 165/1 रकबा 0.06 हैक्ठो रहेगा।
- मोर्ट बंटवारा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल भेद किया जावें।

पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक मरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें।

वर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रवि विजय)

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

विवरण	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह भोग	
साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तारीख	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तारीख		जोड़	